# सूक्ष्म उद्यम विकास : कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सृजन-पथ*

## के.सी. चक्रवर्ती

श्री परमीत झवेरी, सीईओ, सिटी बैंक, भारत; डा. इशर जज आहलुवालिया, अध्यक्ष, आईसीआर आईई आर; श्री हरेश शाह, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग संवर्धन संघ; श्री अनामी रॉय, भूतपूर्व डीजीपी (महाराष्ट्र) और अध्यक्ष, वंदना फाउन्डेशन; सुश्री राधिका हरिभक्ति, अध्यक्ष, स्वाधार फिन एक्सेस, प्रतिष्ठित अतिथियो एवं विजेताओ, भाइयो और बहनो। मैं यहां वार्षिक सिटी सूक्ष्म उद्यमी पुरस्कार समारोह में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। सबसे पहले, मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देना चाहूंगा जो देश के विभिन्न भागों से यहां आए हैं। ये पुरस्कार, विजेताओं के अच्छे कार्यनिष्पादन को मान्यता देने और उनकी सराहना करने के लिए हैं। जैसाकि सम्मानित जूरी का निर्णय है, हमें पूरी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। हमें आशा है कि उनका कार्य और उपलब्धियां, दूसरों लोगों के लिए अनुकरणीय और संभवतः उनसे आगे निकलने के लिए एक दीप स्तम्भ का काम करेंगे।

2. मैं सिटी सूक्ष्म उद्यमी पुरस्कारों के आयोजकों अर्थात् सिटी बैंक, विशेषकर श्री परमीत झवेरी और उनके दल के अन्य सदस्यों को भी अनुकरणीय सूक्ष्म उद्यमियों को मान्यता देने और सम्मान देने के लिए बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने स्वयं संपोषित सूक्ष्म उद्यमों को सफलतापूर्वक खड़ा करने के लिए सभी चुनौतियों का सामना किया, रोजगार का सृजन किया और देश के आर्थिक विकास में सार्थक योगदान किया। ये पुरस्कार देने से अत्याधुनिक सूक्ष्म उद्यम विकसित करने और बढ़ाने के लिए कारोबार विकास में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म उद्यमियों को अवसर प्राप्त होगा। यह सार्वभौमिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि यदि व्यक्ति सुप्रशिक्षित और कौशल प्राप्त हो तो कई रास्ते खुल जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जन्म से ही उद्यम हो अपितु सुविचारित व सुनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। देश भर में अग्रणी उद्यमशीलता आंदोलन आज की आवश्यकता है और सूक्ष्म उद्यमों के कौशल व ज्ञान वर्धन के लिए सहयोग देने में सराहनीय कदम उठाने के लिए सिटी बैंक की सराहना करता हूँ। इसके अतिरिक्त, आज के विजेता आदर्श बनेंगे जो उद्यमियों की भावी पीढ़ी को प्रेरणा और परामर्श देंगे।

### सूक्ष्म व लघु उद्यमियों का महत्व

3. विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में, लघु व सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भारत के अगले कुछेक दशकों के लिए विकास दर 8-10 प्रतिशत रखनी हो तो इसके लिए सुदृढ़ सूक्ष्म और लघु क्षेत्र की आवश्यकता होगी और सूक्ष्म उद्यमियों का पोषण करना होगा। वे न केवल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं अपितु कच्चे माल, बुनियादी वस्तुओं, तैयार पुर्जे और उपकरणों आदि की आपूर्ति करके अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों का समर्थन भी करते हैं। आज, सूक्ष्म उद्यमियों को बधाई देना, उद्यम का अंतिम लक्ष्य नहीं मान लिया जाना चाहिए। वस्तुतः यह केवल अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया का आरंभ है। आज का लघु उद्यम कल का बड़ा उद्यम बनेगा और अंततोगत्वा बहुराष्ट्रीय उद्यम बन सकेगा यदि उनके कौशल और ज्ञान स्तर को बढ़ाने में अन्यों में समर्थन भी दिया जाए। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में, असफलता की दर अपेक्षाकृत ऊंची हो सकती है - इसके कारण, ऋण की विलम्बित / अपर्याप्त उपलब्धता से लेकर पीछे और आगे की सहायता प्रणाली के उपलब्ध न होने तक हो सकते हैं। इस जोखिम के बावजूद, पहली बार उद्यमियों का वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी है। इस प्रकार, बैंकों और दूसरी एजेंसियों को, सूक्ष्म उद्यमियों को सेवा देते हुए गर्व होना चाहिए क्योंकि वे कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्माण में साधन बनते हैं। लघु उद्यमियों की आवश्यकता के संबंध में बैंक के स्टाफ को सुग्राह्य बनाए जाने की आवश्यकता है। बैंकों को ऐसी प्रणालियों का विकास करना चाहिए कि फील्ड में कार्य कर रहे स्टाफ को, लघु उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं से अवगत करवाने के लिए, नियमित रूप से अद्यतन व साधन सम्पन्न रखना होगा। बैंक, तकनीकी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए मंच का उपयोग कर सकते हैं और अपने स्टाफ को नियमित आधार पर ऐसी संस्थाओं में भेज सकते हैं।

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा 5 दिसंबर 2011 को एनसीपीए, मुंबई में सिटी माइक्रो एन्टरप्रेन्योर अवार्ड के दौरान दिया गया भाषण। इस भाषण की प्रस्तुति में श्रीमती एल. वडेरा द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

शाखा प्रबंधकों और उनके ऋण अधिकारियों को, सूक्ष्म व लघु उद्यमो के वित्तपोषण में महसूस किए गए जोखिम को उनके मस्तिष्क से निकालने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

## सूक्ष्म उद्यमों के विकास की आवश्यकता

4. यह माना जाने लगा है कि पर्याप्त आय और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करके तथा देशी निवेश को प्रोत्साहित करके निर्धनों के कल्याण हेतु विस्तृत आधार, सम्मिलित वृद्धि और सुधार करने के लिए सूक्ष्म उद्यम का विकास अनिवार्य है। सूक्ष्म उद्यम विकास संबंधी परियोजनाएं चार प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करती हैः (i) गरीबी कम करना; (ii) महिला सशक्तीकरण; (iii) रोजगार सृजन; और (iv) अंत में उद्यम विकास। सूक्ष्म उद्यम विकास, समाज को उपलब्ध उद्यमिता समूह को बड़ा करने में सहायता करता है। इस प्रकार, नीतिगत परिवेश और उद्यमिता के बीच संबंध को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। माना गया है कि 21वीं सदी पूरे विश्व में 'ज्ञान-सदी' के रूप में स्वीकार किया गया और 'ज्ञान-समाज' भारत को आगे ले जाने में महती भूमिका निभाएगी। ऐसे देशों में, जहां मध्यम और बड़े उद्यम बहुत कम हैं, सूक्ष्म उद्यमों का महत्व, नए उद्यमों के लिए माध्यम के रूप में और अधिक बढ़ जाता है। वस्तुतः सूक्ष्म उद्यम का विकास, उद्यमों के ब्रह्माण्ड हेतु प्रारंभिक आधार की भांति भविष्य के लिए उद्यमिता का सक्रिय स्रोत है।

5. हमारे देश का शैशवकाल चल रहा है - अभी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे किए हैं - हम आने वाले दशकों के लिए निरंतर आर्थिक विकास का पथ निर्धारित कर रहे हैं। हम भारतीय पहले ही एक बिलियन से अधिक हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, आनेवाले वर्षों में भारत की जनसंख्या का आयुवार वितरण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होगा। 2016 तक, कुल जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या 15-25 वर्ष के आयु समूह की होगी। इस प्रकार, आने वाले वर्षों में शिक्षा व नौकरी मार्केट में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी जिसके परिणामतः कौशल विकास की मांग में वृद्धि होगी। औसतन यह अनुमान है कि अगले 30 वर्षों के दौरान लगभग 15 मिलियन व्यक्ति, प्रतिवर्ष रोजगार बाजार में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, इस निडर नई पीढ़ी में, बेहतर कल के लिए संघर्ष करते हुए - इस प्रक्रिया में उभरते उद्यमियों हेतु विकास के नए अवसरों का सृजन करके अपने जीवन के उत्कर्ष पर होगा। देश भर में फैले ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में उद्यमशीलता की लहर को प्रोत्साहित व वित्तपोषित करना होगा। केवल सभी आकारों के उद्यमों के विकास के माध्यम से प्रतिस्पर्धा का पोषण होगा। इस प्रकार, उद्यमियों के विकास को आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में ज्ञान और सूचना, आर्थिक विकास के लिए प्रमुख प्रेरणा स्रोत होंगे।

6. देश की विशाल और बढ़ती अधिकांश जनसंख्या, उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो असंगठित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सामान्यतया यह माना जाता है कि असंगठित क्षेत्र, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाले और वितरण करने वाले लघु व सूक्ष्म उद्यम आते हैं। ये उद्यम सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं, अधिकांशतः परिवार के स्वामित्व वाले होते हैं। कम स्तर के कौशल व प्रौद्योगिकी को नियोजित करते हैं तथा अत्यंत गहन मजदूरी वाले होते हैं। यह लाजिमी है कि हम सूक्ष्म उद्यमों के ईक्विटी व आर्थिक विकास को प्राप्त करने हेतु उनके महत्वपूर्ण योगदान और लिंग संबंधी व गरीबी कम करने संबंधी मुद्दों का समाधान करने के प्रयासों को देखते हुए सूक्ष्म उद्यमों का पोषण व विकास करें। देश में आर्थिक सुधारों के साथ और सभी व्यापार बाधाओं को वस्तुतः हटाने से संसार अब हमारा बाजार और हमारा अवसर है। इन अवसरों की खोज के लिए, पोषण उद्यमशीलता को लक्ष्य करने के लिए अदम्य उत्साह की आवश्यकता होती है।

7. भारत में सूक्ष्म व लघु उद्यमों में कौशल प्राप्त लोगों की बहुत कमी है, जिसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु देश भर में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, उद्यमियों को विभिन्न तरीकों से सहयोग देने वाले राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय विविध संगठन है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें वर्षों से अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही हैं। समाज की ओर से भी लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जहां नागरिकों को अपने उद्यम संबंधी प्रयासों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। आगे चलते हुए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे नवोन्मेषों को सकारात्मक रूप से लिया जाए।

## उभरते देशों से सीख

8. हमें कोरिया के अनुभव से सीखना चाहिए जो अब विश्व स्तर के कई महत्वपूर्ण ब्रांडों का नेता बन गया है। परंतु, केवल 40 वर्ष पहले, कोरिया में कोई उद्योग नहीं था। जापानियों ने, जिन्होंने दशकों तक कोरिया पर राज किया, इसकी अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने किसी प्रकार की उच्च शिक्षा की मंजूरी भी नहीं दी थी, इसलिए कोरिया में वस्तुतः शिक्षित व्यक्ति नहीं थे। कोरिया का युद्ध समाप्त होते-होते, दक्षिण कोरिया नष्ट हो चुका था। आज कोरिया

दो दर्जन उद्योगों में विश्व स्तर पर है और यहां जहाज निर्माण व अन्य क्षेत्रों में विश्व सबसे बड़ा कारोबार होता है। ताइवान भी कोरियो से पीछे नहीं है जो कोरिया की भांति ही 1950 में पूर्व-औद्योगिक था। आज, ताइवान माइक्रोचिप्स उद्यमशीलता और नवोन्मेष सहित कई उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी है जो इन देशों में सफलता की कुंजियां है और इनसे वे विश्व स्तर के निर्माता व उद्योगों में अग्रणी बन गए। कोरियाई लोगों ने नए कारोबारों को चुनने व विकसित करने के लिए नवोन्मेष अनुशासन को सुव्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए अपने होनहार लोगों के छोटे-छोटे समूह बनाए हैं। नवोन्मेष में हमें नियमित रूप से परिवर्तनों को चिन्हित करना होगा जो कारोबार में, जनसांख्यिकीय में, मूल्यों में, तकनीक या विज्ञान में पहले ही हो चुके हैं और उसके बाद उन्हें अवसर के रूप में देखना होगा।

## चार बाधाएं, जिन्हें दूर करना है

9. कई नए कारोबार बड़े ऊंचे संकल्प के साथ शुरू होते हैं परंतु अचानक एक या दो वर्ष बाद परेशानी आने लगती है। चार ऐसी विशेष गलतियां हैं जो उद्यमी करते हैं और इन चारों का ही पहले से अनुमान लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। यहां मै व्यापक रूप से उल्लेख करूंगा जो पीटर एफ ड्रूकर ने अपनी एक पुस्तक में बहुत सही कहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमी चार प्रकार की विशेष गलतियां करते हैं। पहली, अधिक सफल नए आविष्कार या उत्पाद उस तरह से सफल नहीं होते जिसके लिए वे मूलतः बनाए गए थे। इसे समझने के लिए मैं आपको जॉन वेसले ह्यात नामक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जिसने रेल मार्ग माल गाड़ियों के एक्सेल के लिए रोलर बीयरिंग का आविष्कार किया। परंतु रेलमार्ग, इस आमूल परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे और श्री ह्यात दिवालिया हो गए। तत्पश्चात् एलफ्रेड स्लोन ने, जिसने बाद में जनरल मोटर बनाई, अपने पिता से ह्यात के दिवालिया हो गए कारोबार को खरीदने के लिए कहा। ह्यात के विपरीत, स्लोन इस उत्पाद के लिए अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना चाहता था। यह निष्कर्ष निकला कि रोलर बीयरिंग ऑटो मोबाइल के लिए अभीष्ट हैं, जो बाजार में आ रहे थे। दो वर्ष में स्लोन ने अपने कारोबार को समृद्ध कर लिया; 20 वर्ष के लिए हेनरी फोर्ड उसका सबसे बड़ा ग्राहक था। इसी प्रकार, बहुत कम लोग जानते हैं कि नोवोकेन का आविष्कार एक जर्मन कैमिस्ट ने किया था। एल्फ्रेड आइनहोर्न ने इसे एक बड़ी शल्यक्रिया में सामान्य ऐटनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया परंतु इसे उपयुक्त नहीं पाया गया और अंततोगत्वा इसका सफलतापूर्वक उपयोग दंत चिकित्सकों ने किया। वस्तुतः पीटर ड्रूकर ने कहा था कि अधिकांश सफल नए आविष्कार या उत्पाद बाजार में उस तरह से सफल नहीं होते जिसके लिए वे मूलतः बनाए गए हों।

10. दूसरी, उद्यमी मानते हैं कि लाभ नए उद्यम में सर्वाधिक महत्व रखता है। परंतु लाभ गौण होता है। नकदी प्रवाह का अधिक महत्व होता है। तेजी से वृद्धि करने वाले कारोबार में नकदी अधिक लगती है। कारोबार को सुचारू रू प से चलाने के लिए निरंतर निवेश किए जाते रहने की आवश्यकता होती है।

11. तीसरी, जब एक कारोबार विकसित होता है तो उसका आरंभ करने वाला व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है, तीव्र विकास से कारोबार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यह इसके उत्पादन सुविधाओं और प्रबंधन सुविधाओं से बढ़ जाता है। इससे गुणवत्ता गिर जाती है और ग्राहक भुगतान नहीं करते तथा वितरण नहीं हो पाता। इस संकट से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है प्रबंधन दल बनाना। युवा उद्यमी प्रबंधन दल बनाने के लिए भुगतान नहीं कर सकते। अतः यह आवश्यक है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों में से मुख्य-मुख्य क्षमताओं को पहचाना जाए। एक मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है तो दूसरा ग्राहक सेवा में। उनका उपयोग उनके संबंधित क्षमताओं के अनुसार किया जाए जिससे वे अपना काम इष्टतम रूप से कर सकें। ऐसी योजना काफी पहले ही बना ली जानी चाहिए।

12. अंत में, जब कारोबार सफल हो तो उद्यमी को यह जानना चाहिए कि इस स्तर पर कारोबार की आवश्यकता क्या है और क्या वह सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब कारोबार के सामने स्वयं को रखकर उद्यम आरंभ किया जाता है तो सामने प्रश्न होते हैं कि 'मैं क्या करना चाहता हूँ' या 'मेरी भूमिका क्या है' 'परंतु जब कारोबार सफल होता है तो पूछने के लिए सही प्रश्न है 'कारोबार की क्या जरूरत है' और 'क्या मुझमें ये विशेषताएं है?' 'सफल उद्यमी के रूप में, पिछली गलतियों से अनुभव और समझ प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। पहली पीढ़ी के उद्यमी सफल उद्यमियों से सीख ले सकते हैं ताकि उन्हीं गलतियों के दोबारा होने से रोका जा सके।

## सभी पण्यधारकों से समर्थन

13. भारत में छोटे कारोबार में पर्याप्त अवसर हैं और ऐसे अवसर, आने वाले समय में देश को रूपांतरित कर देंगे। ऐसे रूपांतरण के लिए सभी पण्यधारकों, सरकार, बैंकों, कारपोरेट, नियामकों, समाज आदि के समर्थन की आवश्यकता होगी।

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सकती है और सरकार अनुसंधान में सहायता करने के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ के साथ गठबंधन कर सकती है। हमें उद्यमशीलता का पोषण करना होगा और कौशल निर्माण पर विचार करना होगा। अतिलघु-सूक्ष्म उद्यमों को प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का उपयोग करने संबंधी योजना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उद्यमशीलता का, सम्पदा सृजन और रोजगार सृजन पर स्पष्ट प्रभाव को देखते हुए उद्यमशीलता का विकास महत्वपूर्ण है। इसे सुविधाजनक बनाने और प्रेरित करने के उद्देश्य से, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों हेतु प्रधानमंत्री के कार्य दल द्वारा कौशल निर्माण पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा उद्यम विकास केन्द्र (ईडीसी) सहयोगी यंत्रों सहित स्थापित किए जाएं ताकि न केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके अपितु उत्पाद की रूपरेखा, पैकेजिंग, तकनीक उन्नयन, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग जैसे विभिन्न पहलुओं पर जानकारी भी दी जा सके। बेरोजगार, गरीबी से जूझने के लिए और सफल व आर्थिक प्रगति प्राप्त करने हेतु वैश्वीकरण के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए उद्यमशीलता का विकास प्रमुख घटक है।

## भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नवोन्मेष उपाय

14. चूंकि इस क्षेत्र मे वित्तीय वंचन का स्तर ऊंचा है, इसलिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक रहित केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करके इनकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की वृद्धि और विकास हेतु वित्तीय पहुंच महत्वपूर्ण है। देश के सभी भागों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में समरूप प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों को कहा गया है कि वे मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित प्रत्येक गांव में बैंकिंग केन्द्र खोलकर बैंकिंग सेवाए प्रदान करने हेतु रूपरेखा तैयार करें। ऐसी बैंकिंग सेवाएं जरूरी नहीं कि ईंट और गारे से बनी शाखा के माध्यम से ही प्रदान की जाएं अपितु ये बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित मंडलों के विभिन्न रूपों में से किसी के भी माध्यम से प्रदान की जा सकती है। बैंकिंग सुविधा विहीन लगभग 74,000 गांवों को चुना गया है और ये राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किए गए हैं। सितंबर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में 42,079 गांवों में बैंकिंग केन्द्र खोले गए हैं। इसमें 1,127 शाखाएं, 39,998 बैंकिंग प्रतिनिधि और 954 अन्य मॉडल जैसे ग्रामीण एटीएम, मोबाइल बैंक आदि है।

15. इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) को आगे बढ़ाने के लिए कहा है जिससे ऋण प्रदान करने के बहुविध चैनलों को प्रोत्साहित किया जा सके और कारोबार प्रतिनिधि मॉडल अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा सके, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्रों में ऋण वितरण प्रक्रिया को सुधारा जा सके और 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में आईसीटी समाधान अपनाया जा सके।

16. जिला और राज्य दोनों स्तरों पर रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और अग्रणी बैंकों को सूचित किया है कि वे बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा 'ऋण जमा' सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए नए उपायों को मॉनिटर करें। क्षमता निर्माण को महत्व देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता के लिए दबाव डाला है जिससे लघु और सीमांत ऋणी वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का संपूर्ण सेट अर्थात् बैंकिंग क्षेत्र से ऋण के साथ-साथ बचत, धनप्रेषण, बीमा और पेंशन का लाभ उठा सकें। बैंकों को सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शदायी केंद्रों (एफएलसीसी) की स्थापना करने के लिए कहा गया है। मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में 252 एफएलसीसी केन्द्रों की स्थापना की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना करने के लिए प्रमुख कदम उठाने पर जोर दिया जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सके और उन्हें मजदूरी रोजगार /स्व-नियोजन सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय 200 आरएसईटीआई की स्थापना के लिए सहायता देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इन योजनाओं से जुड़ने के लिए कहा है ताकि आरएसईटीआई द्वारा प्रशिक्षित लोगों का ऋण संयोजन सुनिश्चित किया जा सके।

17. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के आयोजक बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अतिलघु सूक्ष्म उद्यमों के प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु विशिष्ट गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करने के लिए योजना

बनाएं। सम्मिलित वृद्धि हेतु बैंक ऋणों का लाभ उठाने के लिए बैंकों को, उस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों / कारपोरेट गृहों से यह सुनिश्चित करने के लिए संबंध बनाने हेतु कहा गया है कि उक्त गैर सरकारी संगठन / कारपोरेट गृह आवश्यक 'ऋण जमा' सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः, सफलता की कहानियां, डीसीसी/एसएलबीसी की बैठकों में मंडल के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है जिन्हें दोहराया जा सकता है।

18. प्रत्येक एसएलबीसी को सूचित किया गया है कि उनका एक समर्पित वित्तीय साक्षरता प्रभाग होना चाहिए जो विभिन्न निर्देशों का प्रसार करे और वित्तीय साक्षरता प्रभाग से प्रायः बातचीत करने के लिए स्थानीय मीडिया का उपयोग करे तथा आम व्यक्तियों के पास पहुंचने के लिए उनकी सहायता लें।

19. भारत सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर कार्यदल (अध्यक्ष श्री टी.के. ए. नायर, प्रधान सचिव, भारत सरकार) की सिफारिशों के अनुसार, इस क्षेत्र को वर्धित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कहा गया था कि वे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों में वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करें; सूक्ष्म उद्यमों के एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत आबंटन ऋणों में प्राप्त करना होगा, अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत तथा सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करें। रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर बैंकों द्वारा की गई लक्ष्यों की प्राप्ति को गहराई से मॉनिटर करता है।

20. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म व लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल (अध्यक्षः श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक) की सिफारिशों के आधार पर, एमएसई के संपार्श्विक मुफ्त ऋणों की सीमा को 0.5 मिलियन रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1 मिलियन रुपए कर दिया गया है और यह सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

21. ऋण और मूल सुविधाओं के वैकल्पिक स्रोतों के प्रश्न पर, प्रधानमंत्री के कार्यदल ने इस विषयों की जांच की और अवरोधों को दूर करने के लिए अनेकों सिफारिशें की है। भारत सरकार द्वारा इन सिफारिशों के समयबद्ध रूप से कार्यन्वयन को मॉनिटर किया जाता है। प्रधानमंत्री के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार उद्यम हेतु पूंजी/जोखिम पूंजी निधि की स्थापना हेतु प्रस्तावों की जांच भारत सरकार द्वारा की जा रही है और एमएसएमई हेतु समर्पित बदलाव आएगा।

## निष्कर्ष

मैं एक बार फिर इस पुरस्कार समारोह के विजेताओं को बधाई देते हुए तथा आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करना चाहूंगा। मुझे आशा है कि इस पुरस्कार समारोह से हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार, सुदृढ़ और समृद्ध भारत के निर्माण में अधिक ऊंचाइयों के प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। मैं अनुकरणीय सूक्ष्म उद्यमियों को सम्मान देने के लिए 'सिटी माइक्रो एन्टरप्रेन्योर अवार्ड' को भी बधाई देना चाहूंगा और कामना करता हूं कि वे आने वाले दिनों में हमारे देश के कोने-कोने से अधिक से अधिक उद्यमियों का चयन करने में और अधिक सफल हों।